FIROZABAD POLICE

" सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा "

सराहनीय कार्य दिनाँक 16-05-23 थाना टूण्ड़ला

- **थाना टूण्डला पुलिस द्वारा दिनांक 08-05-23 को एक व्यक्ति की हत्या कर मृत शरीर को ग्राम रूधऊ-मुस्तकिल में यमुना किनारे फेंके जाने की घटना का किया सफल अनावरण।**
- **हत्या कारित करने में शामिल 03 अभियुक्तगणों को टूण्ड़ला पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार व उ0नि0 योगेश नागर मय हमराहीगणो के द्वारा दिनांक 08.05.2023 को ग्राम रूधऊ मुस्तकिल के पास यमुना किन्नारे मिले अज्ञात शव की हत्या का सफल अनवारण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तगण 1. छोटू यादव उर्फ छोटईया 2. सोनू यादव 3. सुरेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण जनपद आगरा को दिनांक 15.05.2023 को मोहम्मदाबाद कट से किया गया गिरफ्तार। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना पर मु0अ0स0 353/2023 धारा 302/201/404 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 09.05.2023 की सुबह रामनाथ वर्मा पुत्र श्री सामले सिंह निवासी नूरपुर थाना डौकी आगरा ने थाने पर सूचना दी गयी कि उसके खेत यमुना के किनारे ग्राम रुधऊ की तरफ है जब वह दिनांक 09.05.2023 को समय करीब 6 बजे सुबह अपने खेत पर आया तो देखा की उसके खेत पर लगे पम्प सेट जो कि यमुना के किनारे लगा है जिसमें एक व्यक्ति अज्ञात बाधा हुआ है जिस के पैर यमुना की धारा में बांधे हुए पडे है गर्दन कपडे से पम्प सैट मे बधी है जिस के चहरे पर चोट के निशान है उसकी (मृत्यु) हत्या कर दी गई है सूचना पर थाना टूण्डला की पुलिस टीम मौके पर गयी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान करायी गयी तो मृतक की पहचान परिजनों ने राधाकिशन यादव पुत्र स्व0 श्री बनी सिंह निवासी छिरवाई की ठार थाना एत्मादपुर आगरा के रुप में की गयी जिसकी हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला घोटकर की गयी थी तथा मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। घटना के सम्बन्ध में अलग अलग बिन्दुओ पर जांच की गयी तो घटना में शामिल व्यक्तियों के बारे में पता चला जिनके नाम निम्नवत है।

हत्या का कारणः-

- मृतक राधाकिशन, जेके व सोनू आपस में अच्छे मित्र रहे है मृतक राधाकिशन के दूधिया किताब सिंह पुत्र गर्जन सिंह निवसी धौर्ररा की ठार थाना एत्मादपुर के घर के सामने फरवरी माह में एक चकरोड निकल रही थी जिसको किताब सिंह के गाव के सोनू ने रोकने के प्रयास किया तो मृतक राधाकिशन ने किताब सिंह का खुलकर पक्ष लेकर उक्त चकरोड को निकलवाने में किताब सिंह की मदद की , राधाकिशन की मदद से उक्त चकरोड निकल गयी जिससे सोनू राधाकिशन से नाराज हो गया और सोनू ने राधाकिशन को भविष्य में अंजाम भुगतने की धमकी दी।

- ➢ जेके व सोनू यमुना के खादर में जुआ खिलाने का काम करते थे जिसकी सूचना मृतक राधाकिशन द्वारा एत्मादपुर पुलिस को दी गयी थी जिसके बाद पुलिस के द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी और ये लोग फरार हो गये और जुआ बन्द हो गया था। पुलिस को राधाकिशन द्वारा बार बार सूचना देने से जेके राधाकिशन से दुश्मनी मानने लगा था इसलिए राधाकिशन की हत्या में जेके भी सोनू के साथ शामिल हो गया।

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. छोटू यादव उर्फ छोटईया पुत्र शान्ति प्रसाद यादव निवासी छिवराई की ठार थाना एत्मादपुर जिला आगरा।

2. सोनू यादव पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम धोर्रा थाना एत्मादपुर जिला आगरा।

3. सुरेन्द्र सिंह निवासी महुआ खेडा थाना ताजगंज जिला आगरा।

फरार अभियुक्तः-

1. जे के पुत्र देवेन्द्र निवासी छिरवाई की ठार निवासी थाना एत्मादपुर जिला आगरा ।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 353/2023 धारा 302/201/404 भादवि थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाले वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना टूण्डला फिरोजाबाद।

2.उ0नि0 श्री योगेश नागर चौ0प्र0 कस्बा थाना टूण्डला फि0बाद।

3. हैका0 737 राजकुमार थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

4.हैका0 346 दिलीप कुमार थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

5.का0123 भूपेन्द्र सिह थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

6.हैका0 जगदीश सिह थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

7.का0830 कृष्णपाल थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

8.का0 808 रौकी तिवारी थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

9.का0 382 अर्जुन सिह थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।